2

59

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

III/निग./रीवा/भू.रा./2018/971

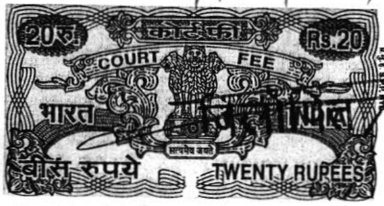

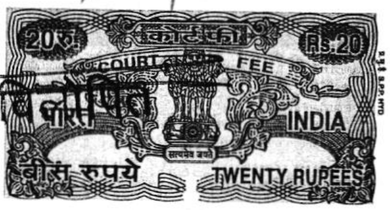

Rs 40/-

1— गुलाबकली पत्नी घुन्नालाल साकेत उम्र 60 वर्ष।

2— मुन्नालाल साकेत पुत्र वैजनाथ साकेत, उम्र 60 वर्ष।

दोनो निवासी ग्राम डेल्ही, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

————————**पुनरीक्षणकर्तागण**

बनाम्

म0प्र0 शासन जरिये पटवारी हल्का डेल्ही तह0 सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

——— **अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता**

प्रस्तुत श्री गजराज सिंह द्वारा वकील 07-2-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण याचिका माननीय उच्च न्यायालय के पिटीसन कमांक MP199/2018 आदेश दिनांक 23.01.2018 में पारित आदेश के पालन में पुर्नरीक्षण विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र—338/अपील/2017—2018 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2017 के विरूद्ध निगरानी।

मान्यवर

प्रकरण के सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :—

1— यह कि आवेदकगण भूमिहीन हरिजन साकेत जाति के गरीब व्यक्ति है जो कई पुस्तो से यानी पुर्वजों के समय से वशानुकम में ग्राम डेल्ही सर्किल बैकुण्ठपुर, तह0 सिरमौर, में आराजी नं0 507 में आवासीय मकान बनाकर सपरिवार निवासरत है तथा उसी आराजी पर मकान बनाकर आबाद है।

(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/भू.रा/2018/971 गुलाब कली / मप्र शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-18	आवेदक अधिवक्ता श्री गजराज सिह ने उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया । उन्हें कायमी तथा स्थगन पर सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से अग्राहय की जाती है। सदस्य 21/6/18	